

:: मूल वाद में डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:- चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :-340/2010 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
श्री दिनेश चन्द्र पिता भंवरलाल अग्रवाल, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

- बनाम
- 1-श्री ओमप्रकाश पिता भंवरलाल अग्रवाल(महाजन), उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
 - 2-श्री वरुण कुमार पिता निर्मल कुमार अग्रवाल, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा हाल दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राजस्थान)
 - 3-श्रीमति कृष्णा देवी पत्नि निर्मल कुमार अग्रवाल, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा हाल दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राजस्थान)
 - 4-श्रीमति चुन्नी बाई बेवा गिरधारीलाल लखारा, उम्र बालिग निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
 - 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राज0)
 - 6-उप पंजीयक महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मांगीलाल सैन, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 13.12.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्रस्तुत आपसी राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम साकरिया खेड़ा पटवार हल्का सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर नं0 882 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से वादीगण के नाम 15 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला (राज.)

आज दिनांक 13.12.2017 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)